न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 242/2018

निर्णय दिनांक :– 6.1.2020

अमराराम पुत्र स्व. शेराराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम घुमान्दा तहसील रतनगढ जि. चूरू ... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री दीवानसिंह राठौड़ अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 26.10.2018 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम घुमान्दा तहसील रतनगढ की रोही में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खाता सं. 67 के ख. नं. 202 तादादी 0.8094 हैक्टेयर, ख.नं. 203 तादादी 1.4670 हैक्टेयर, ख.नं. 243 तादादी 3.8572 हैक्टेयर, ख.नं. 244 तादादी 2.4661 हैक्टेयर, ख.नं. 245 तादादी 2.6431 हैक्टेयर व ख.नं. 246 तादादी 4.7171 हैक्टेयर कुल तादादी 15.9599 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी का 1/8 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादगत खसरों की भूमि प्रार्थी के पिता से मिली हुई है। प्रार्थी का बोलता नाम आशाराम पुत्र शेरा है, जो संयुक्त खातेदारी में अकिंत हो गया। प्रार्थी का सही नाम अमराराम पुत्र शेराराम है। राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में सही नाम अमराराम अकिंत चला आ रहा है। प्रार्थी को के.सी.सी. बनवाते समय इसकी जानकारी हुई है। अतः वादगत

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

खेतों की संयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम आशाराम पुत्र शेरा के स्थान पर सही नाम अमराराम पुत्र शेराराम शुद्ध किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट कमांक 948 दिनांक 09.12.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम आशाराम पुत्र शेरा के स्थान पर अमराराम पुत्र शेराराम शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। आशाराम व अमराराम एक ही व्यक्ति है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, एवं तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2019 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम अन्य सभी दस्तावेजात में अमराराम पुत्र शेराराम अकिंत है। तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि खेत खाता सं. 67 के ख.नं. 202 तादादी 0.8094 हैक्टेयर, ख.नं. 203 तादादी 1.4670 हैक्टेयर, ख.नं. 243 तादादी 3.8572 हैक्टेयर, ख.नं. 244 तादादी 2.4661 हैक्टेयर, ख.नं. 245 तादादी 2.6431 हैक्टेयर व ख.नं. 246 तादादी 4.7171 हैक्टेयर कुल तादादी 15.9599 हैक्टेयर वाके रोही घुमान्दा तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम आशाराम पुत्र शेराराम के स्थान पर अमराराम पुत्र शेराराम शुद्ध अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरु)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 16:00:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: